राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटपूतली–बहरोड

क्रमांकःसहायता/बाढ़/मरम्मत/2025/राजकाज दिनांकः– SIGNED DATE

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुर्नस्थापन हेतु इस कार्यालय से भिजवाये गये प्रस्ताव क्रमांक 1025 दिनांक 05.09.2025 के आधार पर आपदा प्रबन्धन विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ.8(16)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ 17913554 जयपुर, दिनांक 23.09.2025 के द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्राप्त हुई हैं।

स्वास्थ्य केन्द्रों हेतुः–

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य केन्द्रों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनः स्थापना हेतु ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तह व ब्लॉक कोटपूतली के 02 कार्यों हेतु राशि रूपयें 4.00 लाख एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटपूतली–बहरोड तह. व ब्लॉक बहरोड के 01 कार्यों हेतु राशि रूपयें 2.00 लाख, कुल 03 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 6.00 लाख (अक्षरे रूपये छः लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

जिसके संबंध में सा.नि.वि. कोटपूतली–बहरोड, के पत्रांक 1610 दिनांक 13.11.2025 एवं पत्रांक 1668 दिनांक 24.11.2025 द्वारा उक्त 03 कार्यो के तकमीने बनवाये जाकर तकनीकी स्वीकृति प्रेषित की गई हैं। कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि, संबंधित खण्ड(कोटपूतली व बहरोड) जिला कोटपूतली–बहरोड होंगे।

क्र. सं.	कार्य का नाम	ब्लॉक	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	राशि (लाखों में)
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवता	कोटपूतली	360/B-91/06.10.2025	2.00
2	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नागा जी की गौर	काटपूतली	361/B-92/06.10.2025	2.00
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोहराना	बहरोड़	B-58/21.11.2025	2.00
	कुल 03 कार्यो हेतु			6.00

अतः उक्तानुसार मरम्मत कार्य करवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है, निर्धारित दर से अधिक राशि का उपयोग नहीं किया जावें।
2. केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुर्नस्थापन के कार्य ही करवाये जावें, जो एसडीआरएफ नोर्म्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो।

Signature valid
Digitally signed by Priyanka Goswami
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.11.26 15:06:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19041775

3. वे परिसंपत्तिया/स्वास्थ्य केन्द्र भवन जो डिफेक्ट लाईब्लिटी अवधि के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं हैं।
4. प्रस्ताव उपखण्ड़ स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
5. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
6. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करावें, ताकि कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे तात्कालिक मरम्मत का उदेश्य पूर्ण हो सके।
7. कार्यकारी एजेन्सी उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व आवश्यक प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया हैं।
8. कार्य पूर्ण होते ही बिल तैयार कर उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जनप्रतिनिधि से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें, ताकि समय पर भुगतान करवाया जा सकें।
9. आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावें।
10. बिल बनाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लिया जावे कि एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत ओरडनरी रिपेयर एण्ड पेरियोडिकल रिपेयर (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों के रेस्टोरेशन हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2025 की पूर्ण पालना की जावें।
11. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगें।
12. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड़ स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जावें।
13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
14. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।
15. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–25 में निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा।

2245–	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02–	बाढ़/चक्रवात आदि।
107–	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02)–	(बाढ़ से प्रभावित कार्यालय भवनों की मरम्मत)
01–	[बाढ़ से प्रभावित कार्यालय भवनों की मरम्मत]
21–	अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस)

Signature valid

Digitally signed by Priyanka Goswami
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.11.26 1?:0?:04 IST
Reason: Approved

कलक्टर
केकड़ी–ब्यावर

RajKaj Ref No.: 19041775

क्रमांकःसहायता / बाढ़ / मरम्मत / 2025 / राजकाज दिनांकः— SIGNED DATE

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली, बहरोड, बानसुर, विराटनगर।
2. शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति क्रमांक एफ.8(16)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / RAJKAJ 17913554 जयपुर दिनांक 23.09.2025 की पालना में चिकित्सा भवनों के 03 कार्यो हेतु 06 लाख (अक्षरे छः लाख रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं। अतः भुगतान हेतु उक्त राशि का बजट आवंटन करने का श्रम करावें।
4. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
5. उप शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
6. प्रधान पंचायत समिति, कोटपूतली, पावटा, विराटनगर, बानसुर, नीमराणा, बहरोड़।
7. उपखण्ड़ अधिकारी, समस्त कोटपूतली—बहरोड।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली—बहरोड।
9. अधीशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड कोटपूतली / बहरोड़।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, जयपुर।
11. संबंधित कार्यालय अध्यक्ष।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
कोटपूतली—बहरोड

Signature valid

Digitally signed by Priyanka Goswami
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.11.26 16:06:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19041775